

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, हापुड़
उपस्थित:- विपिन कुमार-।। (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP-6070)

UPHP010000182024



सत्र परीक्षण सं०-01/2024
सरकार बनाम आबिद आदि।

मु०अ०सं०-476/2009
अंतर्गत धारा-307 भा०दं०सं०
थाना-हापुड़ देहात,
जनपद हापुड़।

आरोप

मैं, विपिन कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, हापुड़ एतद्वारा आप **आबिद पुत्र अख्तर व वसीम पुत्र नजीर** को निम्नांकित आरोप से आरोपित करता हूँ:-

प्रथम- यह कि दिनांक 24.10.2009 को समय 9.00 बजे दिन स्थान किठौर रोड अजय नर्सरी के पास, थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ में वादी मुकदमा एस०आई० ए०के० जिंदल व पुलिस पार्टी पर आपने जान से मारने की नियत से फायर किया, जिससे पुलिस वाले बाल बाल बच गये। इस प्रकार आपके द्वारा धारा 307 भा०दं०सं० के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतः एतद्वारा आप **आबिद पुत्र अख्तर व वसीम पुत्र नजीर** को निर्देश देता हूँ कि आपके उक्त आरोप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 17.01.2024,

(विपिन कुमार-।।)

J.O. Code (UP-6070)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम,
हापुड़।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया व विचारण की मांग की।

दिनांक 17.01.2024,

(विपिन कुमार-।।)

J.O. Code (UP-6070)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम,
हापुड़।